

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,

जिला शाखा - बलौदाबाजार (छ.ग.), जिला न्यायालय परिसर, बलौदाबाजार (छ.ग.)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01 /2021


बलौदाबाजार दिनांक 03/12/2021


छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा - बलौदाबाजार की ओर से जिला न्यायालय, परिसर बलौदाबाजार में कैंटीन के संचालन हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न - 1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/balodabazar में अपलोड किया गया है तथा न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है। उक्त सूचना अपलोड किये जाने / नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने के 7 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 10/ 12/2021 तक कार्यालयीन दिवस में आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सचिव, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा - बलौदाबाजार, स्थान - जिला न्यायालय, परिसर बलौदाबाजार से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट लेकर आवेदन किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	10/12/2021 समय शाम 05.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	13/12/2021 समय शाम 05.00 बजे तक
स्थान	पक्षकार विश्राम कक्ष, जिला न्यायालय परिसर, बलौदाबाजार (छ.ग.)

दिनांक-03/12/2021

स्थान-बलौदाबाजार


सचिव
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)


गुलाब चंद घृतलहरे
(अध्यक्ष)

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

ANNEXURE-1

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अनुमति हेतु आवेदन पत्र:-
 - ✓(1) कैटीन संचालन - जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर
 - X(2) फोटोकॉपी मशीन संचालन - जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर
 - X(3) सायकल स्टैंड संचालन - जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर
- * जो लागू न हो उसे काटें।
2. आवेदक का नाम -
3. पूर्ण-पता -
4. पहचान पत्र -
- (स्व प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)
5. निविदा हेतु बोली की राशि -
- (मासिक लायसेंस फीस/किराया)
- * कृपया बोली की राशि का 25% राशि अग्रिम राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से "अध्यक्ष, जिला न्यायिक कर्मचारी संघ बलौदाबाजार" के नाम पर जमा करें।
- अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को निविदा खुलने पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
6. डिमांडड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक क्रमांक व दिनांक -
7. जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम -

नोट:-आवेदन को आवेदक द्वारा उचित व पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदक के साथ वैध पहचानपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही अग्रिम राशि हेतु कंडिका 6 व 7 में उल्लेखित डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है, अपादन की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणापत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्रीयह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है, एवं मैं जिला न्यायालय कैटीन, फोटोकॉपी व सायकल स्टैंड संचालन नियम 2017 के सभी शर्तों का पालन करूंगा। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है अथवा मेरे द्वारा उक्त नियम के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करना पाया जाता है या नियमानुसार नहीं करना पाया जाता है तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अनुसंलग्न-1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी कारण बताये निरस्त या परिवर्तित किया जा सकेगा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 10/12/2021 के शाम 05.00 बजे तक है ।
3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट /स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा ।

पता:- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

4. सभी निविदाएं वेबसाईट में अपलोड /कार्यालय में चस्पा/समचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि के शाम 5:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है । समयसीमा के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. कैंटीन के संचालन हेतु प्राप्त निविदा, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी ।
6. सभी आवेदन खोलने के पश्चात सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जायेगा व उसे कैंटीन चलाने हेतु अधिकार अनुबंध के माध्यम से प्रदान किया जायेगा; शेष आवेदकों के द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथा - संभव 07 कार्य-दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति उनसे ली जायेगी । निविदा खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक से किया जायेगा ।
7. जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75% सात कार्य-दिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के माध्यम से संघ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा-बलौदाबाजार के नाम पर जमा करना